Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 27-11-2006

Participants : Virendra Kumar Shri

>

Title : *H Alleged discrimination against physcially handicapped persons regarding PCO call charges in Sagar, Madhya Pradesh.

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति जी, केन्द्र सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काफी प्रयास किये जाते हैं। उनको आत्मनिर्भर बनाकर उनमें आत्मविश्वास पैदा करने तथा वह भी समाज के लिये उपयोगी हैं, उनको तरह-तरह की सुविधायें भी प्रदान की जाती हैं। जिला पुनर्वास केन्द्रों का इसमें सराहनीय योगदान है किन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र सागर मध्य प्रदेश में दूरसंचार विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में स्वीकृत सी.सी.बी.-पी.सी.ओ. संचालकों से दिनांक 01.07.2006 से 31.08.2006 की समयावधि में रुपये 1.20 प्रति काल के अनुसार चार्ज लिया गया जबकि उपरोक्त समयावधि में सामान्य श्रेणी के सी.सी.बी.-पी.सी..ओ. संचालकों से रुपये 0.89 प्रति काल के अनुसार चार्ज लिया गया है। इस संबंध में विकलांग श्रेणी के संचालकों द्वारा विभागीय अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने पर अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि इस प्रकार की नीति ऊपर से बनायी गयी थी एवं सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करने के लिये प्रेरित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा शारीरिक रुप से ि वकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें दिये जाने का प्रचार किया जा रहा है। इसके विपरीत दूरसंचार विभाग में ि वकलांग व्यक्तियों से इस तरह का व्यवहार समझ से परे है।

अत: मेरा भारत सरकार के दूर संचार विभाग से अनुरोध है कि संपूर्ण देश में विकलांग सी.सी.बी.-पी.सी.ओ. संचालकों को संरक्षण प्रदान कर सहयोग करने का कट करें।

सभापति महोदय : अच्छा प्रश्न है।